संख्या-23/2019/क0नि0-4-873/11-2019-300(35)/18

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 12 सितम्बर, 2019**

विषयः- विभागीय वेबसाइट comtaxtrg.up.nic.in हेतु एन0आई0सी0 क्लाउड सर्विस के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-09/06/वेबसाईट/2019-20/1088/वाणिज्य कर, दिनांक 26.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय वेबसाइट http://**comtax.up.nic.in** तथा **www.comtaxtrg.up.nic.in** को **NIC** के **Cloud Server (Meghraj)** पर संचालित करने के लिए निक्सी के प्रोफार्मा इनवॉइस दिनांक 20.06.2019 के अनुसार धनराशि रु0-01,03,144.00 (रुपया एक लाख तीन हजार एक सौ चौवालीस मात्र) का अग्रिम भुगतान एन0आई0सी0एस0आई0 (निक्सी) को 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की मद में प्राविधानित धनराशि रू0-02.70 करोड़ में से किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं : -

(i) धनराशि सम्बन्धित संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(ii) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में 'अनुदान सं0-089-लेखाशीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य का आयुक्त का अधिष्ठान की मानक मद सं0-46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय' के नामे डाला जाएगा।

भवदीया,

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2019/क0नि0-4-873(1)/11-2019, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।